



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102026-277165
CG-DL-E-15102026-277165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5411]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948

No. 5411]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5625(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5420(अ), दिनांकित 13.12.2024 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 61 [मालशेज घाट - नेपती- अहमदनगर बाईपास (नेप्ती- अरनगांव- वालूज- सरोला बंदी- चांद बीबी महल) के 140.016 किमी. के खंड को छोड़कर और खरवंडी कासर से एनएच-211 (नया एनएच-52) के साथ जंक्शन तक, 284.00 किमी. से 337.00 किमी. तक के खंड को छोड़कर] के खंड को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 61 के कल्याण मुर्बाद मालशेज घाट - निर्मल तक डिजाइन किलोमीटर 15.200 से किलोमीटर 38.000 और किलोमीटर 58.000 से किलोमीटर 84.000 (मौजूदा किलोमीटर 15.200 से 38.00 और 58.00 से 84.00) तक के खंड के 20.005 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के चार अथवा अधिक लेन के उपयोग हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट

आधार दर पर तथा 25.90 किमी [तालिका-2] की निवल सड़क खंड लंबाई के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत पर तथा चार लेन के 8.550 किमी (0.855 किमी की लंबाई वाले [तालिका-3]) के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100 प्रतिशत पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर शुल्क (फीस) उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरीय)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में), जिसके लिए शुल्क संदेय है [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ से अधिक लागत) और संरचनाओं की लंबाई (> 60मी.) को छोड़कर]	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में पोटगांव गांव (गांवों) के निकट/के बीच एनएच-61 के किमी/चैनेज 29.550 पर	25.90	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	20.005	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में पोटगांव गांव (गाँवों) के निकट/के बीच एनएच-61 के किमी/चै. 29.550 पर	0.855	8.550	चार या अधिक लेन के लिए तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^संरचना का व्यौरा निम्नानुसार है:-

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	16.200	16.650	एमजेबी	0.450
2	34.430	34.520	एमजेबी	0.090
3	36.625	36.940	फ्लाईओवर	0.315
कुल				0.855

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रु. (तीन सौ साठ रुपए) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चलाए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 984.07 करोड़ रु. है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई, आदि कार्यकलापों को पूरा किया जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ/एमयूएम/एनएच(ओ)/2022-23/05/टोल (ई-267316)]
चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2026

S.O. 5625(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5420(E) dated 13.12.2024 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of National Highway No.61 [excluding Malshej Ghat - Nepti-Ahmednagar Bypass (Nepti- Arangaon- Walunj- Sarola Baddi- Chand Bibi Mahal) section 140.016 Km. & excluding Kharwandi Kasar to junction with NH-211 (New NH-52) section from Km. 284/00 to km 337/00] in the State of Maharashtra to the State Government of Maharashtra;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 45.845 20.005 [Table-2] km for the use of four or more lane section and at sixty per cent of the base rate for net road length of 25.90 kms [Table-2] for the use of two lane with paved shoulder section and at 100% of the base rate for equivalent structure length (having length more than 60m) of 8.550 km (having length of 0.855 kms [Table-3] for four lane on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Kalyan Murbad Malshej Ghat - Nirmal from design kilometer 15.200 to kilometer 38.000 & kilometer 58.000 to kilometer 84.000 (existing km 15.200 to 38.00 & 58.00 to 84.00) of National Highway number 61 in the State of Maharashtra and the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 29.550 of NH-61 near/between Potgaon Village (s) in Thane district of State Maharashtra State	25.90	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	20.005	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 29.550 of NH-61 near/between Potgaon Village (s) in Thane district of State Maharashtra State	0.855	8.550	100% for four or more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	16.200	16.650	MJB	0.450
2	34.430	34.520	MJB	0.090
3	36.625	36.940	Flyover	0.315
Total				0.855

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 360.00 (Three hundred and Sixty Rupees) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 984.07 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2022-23/05/Toll (E-267316)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.